भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 186
गुरुवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नामकरण

186. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम बदलकर लोकनेते स्वर्गीय डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन करने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) : सामान्यतः, हवाईअड्डों को उस शहर के नाम से जाना जाता है जहां वे स्थित हैं, जब तक कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा समर्थित कोई अन्य विशिष्ट नाम प्रस्तावित न किया जाए। हवाईअड्डों के नामकरण पर निर्णय संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ उचित परामर्श के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। नागर विमानन मंत्रालय को महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का नाम 'लोकनेते डी. बी. पाटिल नवी मुंबई हवाईअड्डा' रखने के लिए महाराष्ट्र विधान-सभा द्वारा पारित संकल्प के साथ महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
